

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

वि

10-4-23

पत्रावली आज चेन्नै हुई। वकील वादी एवं वकील
उप्रीवादी उपर नहीं। वकील वादी एवं वकील उप्रीवादी
के तीन बाल आवाज नगराई ग्राम। वातजुद
सूचना के वकील वादी एवं वकील उप्रीवादी
न्यायालय में उपस्थित नहीं। अतः वकील वादी
का वाद अदम होजये अदम पैरती के त्वारीज
लिखा जाता है। पत्रावली फैसल सुनाने के बाद
वादी त्वारीज तत्परीक के दायरेक दफतर है।

